भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 841

दिनांक 29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत - पीएमजेएवाई

†841. श्री गोडम नागेश:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएम-जेएवाई) के कार्यान्वयन का ब्यौरा शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना में सामाजिक-आर्थिक और जाति आधारित जनगणना, 2011 में पहचान किए गए 10.74 करोड़ ग्रामीण और शहरी व्यक्तियों को शामिल किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): दिनांक 23.09.2018 को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत की आबादी के निचले 40% हिस्से में आने वाले लगभग 10.74 करोड़ लाभार्थी परिवारों को मध्यम और विशिष्ट परिचर्या अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। एबी-पीएमजेएवाई वर्तमान में पश्चिम बंगाल, एनसीटी दिल्ली और ओडिशा के अतिरिक्त देश भर के 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित है।

आरंभ में, एबी-पीएमजेएवाई के तहत 10.74 करोड़ लाभार्थी परिवारों को वर्ष 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) के आधार पर लक्षित किया गया था, जिसमें परिवारों की पहचान करने के लिए क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्धारित अभाव और व्यावसायिक संबंधी मानदंडों का उपयोग किया गया था। इसके अलावा, भारत सरकार ने जनवरी, 2022 में, 11.7% की दशकीय वृद्धि दर के आधार पर लाभार्थी आधार को संशोधित कर 12 करोड़ परिवार कर दिया और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों

को ऐसे एसईसीसी लाभार्थियों के लाभार्थी सत्यापन के लिए अन्य डेटाबेस का उपयोग करने की छूट दी गई है, जिनकी पहचान और सत्यापन नहीं किया जा सका।

मार्च 2024 में आशाकर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के 37 लाख परिवारों को भी इस योजना में शामिल किया गया। इसके अलावा, 29.10.2024 को भारत सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना, परिवार के आधार पर प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का निःशुल्क उपचार लाभ प्रदान करने के लिए योजना का विस्तार किया। इसके अतिरिक्त, इस योजना को लागू करने वाले कई राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने खर्च पर लाभार्थी आधार का विस्तार किया है।

*****